

# कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में,

सचिव/उपाध्यक्ष  
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

दिनांक:- 17/10/2024

पत्रांक:- 256 /म0नि0वि0/न0नि0/2024-25  
विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया आवेदिका श्रीमती मंजू दीक्षित पत्नी श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी निवासी- 1233 टंडन गार्डन न्यू रायगंज सीपरी बाजार तहसील व जिला झाँसी के ऑनलाईन प्रार्थना पत्र जे0एन0एन0/एन0ओ0सी0/2024-25/9904246 दिनांक 03.09.2024 में मुहल्ला/सैंयर गेट अन्दर झाँसी के भवन संख्या/238 नया 273 के जुज भाग में स्थित एक किता आवासीय प्लॉट/मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 1612 वर्गफुट की नगर निगम झाँसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 17.08.2024 के अनुसार उक्त प्लॉट/मकान में मुहल्ला/सैंयर गेट अन्दर झाँसी के भवन संख्या/238 नया 273 के जुज भाग में स्थित प्रार्थी ने उक्त सम्पत्ति अपनी माँ श्रीमती रामदेवी से प्राप्त की है। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम दर्ज कागजाद नहीं है। प्रश्नगत प्लॉट ग्राम सभा, नजूल, वक्फ सीलिंग, पुनर्वास व धारा- 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 09.09.2024 के अनुसार प्रश्नगत मुहल्ला/सैंयर गेट अन्दर झाँसी के भवन संख्या/238 नया 273 के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लॉट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झाँसी से चाहा गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार) की एन0ओ0सी0 सहित प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/राज्य सरकार की भूमि नहीं पायी जाती है। जिसमें मलवा शुल्क ₹ 4220/- का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन0ओ0सी0 शुल्क ₹ 1615/- नगर निगम झाँसी कोष में रसीद सं0 pay\_p2WneHPeesfeuo/दिनांक 15.10.2024 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के मुहल्ला/सैंयर गेट अन्दर झाँसी के भवन संख्या/238 नया 273 के जुज भाग में नगर निगम का अंश नहीं है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सेन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लॉट की चौहद्दी निम्नवत्- पूरब- रास्ता, पश्चिम- सड़क मिनर्वा चौराहा से सैंयर गेट, उत्तर- मकान व दुकान श्री शम्भू दयाल शर्मा आदि, दक्षिण-मकान व दुकान सब्जीर अहमद,  
नोट:-

1. आवेदन का दिनांक 03.09.2024
  2. उक्त मानचित्र का प्रयोजन- "आवासीय" से सम्बन्धित है।
  3. सैफ्टिक टैक-IS CODE: 2470 के प्रावधान के अन्तर्गत नक्शे में प्रावधान कर दिया गया है।
  4. कम्पोस्टिंग- प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है, इसलिए कम्पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
- नोट:- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उसी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जायेगा।

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी

दिनांक:- 2024

पत्रांक:- 256/म0नि0वि0/न0नि0/2024-25

श्रीमती मंजू दीक्षित पत्नी श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी निवासी- 1233 टंडन गार्डन न्यू रायगंज सीपरी बाजार तहसील व जिला झाँसी उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी



## कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में,

राधिव/उपाध्यक्ष  
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक:- 256 / भ0नि0वि0 / न0नि0 / 2024-25  
विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
महोदय,

दिनांक:- 17/10/2024

कृपया आवेदिका श्रीमती मंजू दीक्षित पत्नी श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी निवासी- 1233 टंडन गार्डन न्यू रायगंज सीपरी बाजार तहसील व जिला झाँसी के ऑनलाईन प्रार्थना पत्र जे0एन0एन0/एन0ओ0सी0/2024-25/9904246 दिनांक 03.09.2024 में मुहल्ला/सैंयर गेट अन्दर झाँसी के भवन संख्या/238 नया 273 के जुज भाग में स्थित एक किता आवासीय प्लॉट/मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 1612 वर्गफुट की नगर निगम झाँसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 17.08.2024 के अनुसार उक्त प्लॉट/मकान में मुहल्ला/सैंयर गेट अन्दर झाँसी के भवन संख्या/238 नया 273 के जुज भाग में स्थित प्रार्थी ने उक्त सम्पत्ति अपनी माँ श्रीमती रामदेवी से प्राप्त की है। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम दर्ज कागजाद नहीं है। प्रश्नगत प्लॉट ग्राम सभा, नजूल, वक्फ सीलिंग, पुनर्वास व धारा- 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 09.09.2024 के अनुसार प्रश्नगत मुहल्ला/सैंयर गेट अन्दर झाँसी के भवन संख्या/238 नया 273 के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लॉट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झाँसी से चाहा गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार) की एन0ओ0सी0 सहित प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/राज्य सरकार की भूमि नहीं पायी जाती है। जिसमें मलवा शुल्क रू0 4220/- का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन0ओ0सी0 शुल्क रू0 1615/- नगर निगम झाँसी कोष में रसीद सं0 pay\_p2WneHPeesfeuo/दिनांक 15.10.2024 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के मुहल्ला/सैंयर गेट अन्दर झाँसी के भवन संख्या/238 नया 273 के जुज भाग में नगर निगम का अंश नहीं है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सेन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लॉट की चौहद्दी निम्नवत्- पूरब- रास्ता, पश्चिम- सड़क मिनर्वा चौराहा से सैंयर गेट, उत्तर- मकान व दुकान श्री शम्भू दयाल शर्मा आदि, दक्षिण-मकान व दुकान सब्बीर अहमद,  
नोट:-

1. आवेदन का दिनांक 03.09.2024
  2. उक्त मानचित्र का प्रयोजन- "आवासीय" से सम्बन्धित है।
  3. सैप्टिक टैंक-IS CODE: 2470 के प्रावधान के अन्तर्गत नक्शे में प्रावधान कर दिया गया है।
  4. कम्पोजिटिंग- प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है, इसलिए कम्पोजिटिंग की आवश्यकता नहीं है।
- नोट:- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उसी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जायेगा।

पत्रांक:- 256 / भ0नि0वि0 / न0नि0 / 2024-25

श्रीमती मंजू दीक्षित पत्नी श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी निवासी- 1233 टंडन गार्डन न्यू रायगंज सीपरी बाजार तहसील व जिला झाँसी उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी  
दिनांक:- 17/10/2024

सम्पत्ति अधिकारी  
झाँसी नगर निगम, झाँसी